लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी टिब्बी

सीन अधिकारी– मांगी लाल, आर.ए.एस.

ना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ण संख्या–05/2020

हेतराम पुत्र तुलछा राम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजपाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

पस्थितः–

1. श्री मदन सिंह बुरड़क, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुभाष गर्ग, अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः–16.03.2020

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक 8 जीजीआर के खाता संख्या 591 के प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 8,9,10,11,12,13,19,20,21,22 व प.न. 199/287 मु. 58 कि.न. 1/1/.050,2/.089 कुल 2.644 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के प.न. 196/276 मु0 1 कि.न. 15,16,17 प.न. 199/281 मु. 22 कि.न. 13/1/.070, 13/3/.070, प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 14,17,18,23/2/.201, 24/.139,25/1/.165, प.न. 199/287 मु. 58 कि.न. 1/2/ण063 , 3/.114 प.न. 201/279 मु0 10 किला न. 3,13/1/.114 है0 कुल 2.707 है0 भूमि सिवाय चक आराजी राज दर्ज रिकार्ड है तथा इसी चक के खाता सं0 397 में कुल 5.768 है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 15 के उत्तर से दक्षिण मंजूर शुदा चालू रास्ता के उतरी दिशा से होकर कि.न. 14 जो कि सिवायचक दर्ज है जिसके उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम होकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि के किला न. 13 में प्रवेश करता आ रहा है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए प.न. 199/286 मु. 57 के कि.न. 14,15 में पूर्व से पश्चिम के अलावा अन्य कोइं रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी के खेत के सबसे नजदीक रास्ता कि.न. 14 व 15 में से ही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 14,15 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम दो–दो बिस्वा रास्ता मंजूर करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले नियमानुसार राशि देने को भी तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कई दफ़ा निवेदन किया कि उक्त कि. न. 14 व 15 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम मौके पर चालू रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दें तथा मुझ प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा कारित न करें। परन्तु 7 रोज पूर्व कतई इकार हो गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 8 जीजीआर के प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 14 व 15 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता अंकन के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिरा जारी किये गये। तहसीलदार टिब्बी को निर्धारित जांच प्रपत्र में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तलबी उपरान्त अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 को अस्वीकार किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी को पूर्वजों से मिली है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी की भूमि अपने भाइयों

57

पूर्व में संयुक्त खाता में दर्ज थी। प्रार्थी अपने भाई सोहन लाल पुत्र तुलछाराम की कृषि भूमि चक
जीआर के प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 1 में से होकर अपने किला न. 10 में प्रवेश करता चला आ
है। गै.मु. रास्ता से प्रार्थी की कृषि भूमि मात्र एक बीघा की दूरी पर है, जो सबसे कम दूरी का रास्ता
प्रार्थी मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में से व कि.न. 14 अराजीराज दर्ज है। इससे रास्ता कानूनी स्वीकृत
ाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त आपत्ति के रूप में यह कथन किया गया कि माननीय
ायालय द्वारा तहसीलदार के माध्यम से मौका रिपोर्ट चाही गई है। मौका रिपोर्ट के प्रारूप में यह बिन्दू
कित है कि प्रार्थी को चाहे जाने वाला रास्ता सबसे कम दूरी का कहां से उपलब्ध है जो कि तहसीलदार
ारा ऐसा कोई रिपोर्ट में अंकित नही है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का सबसे कम दूरी का
ास्ता कहां से लगता है। मुझ अप्रार्थी द्वारा जमाबन्दी व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है इस तरह की
रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व टिब्बी से पुनः मंगवाई जाना आज्ञापक है ताकि प्रकरण में सही निर्णय पारित हो
सके। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमाया जावे।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के प्रावधानान्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी से मौका व जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिन्होंने संबंधित भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का से जांच करवा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित की। भू.अभिलेख निरीक्षक टिब्बी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है व विकल्प के रूप में यह लिखा कि प्रार्थी वर्तमान में मु. 57 के किला न. 17,14 से होते हुए अपने खेत में आते जाते है। जवाब प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यह कथन किया कि तहसीलदार रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि प्रार्थी कि कृषि भूमि को सबसे कम दूरी का रास्ता कहां से लगता है। तदुपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा हल्का पटवारी के साथ मौका देखा गया व हल्का पटवारी से पुनः नक्शा तैयार करवाया गया। स्पष्टतः प्रार्थी के कि.न. 10 के उतरी तरफ मात्र एक बीघा की दूरी पर स्वीकृत मार्ग है अर्थात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कि.न. 14 व 15 से चाहा गया रास्ता लघूत्तम रूट से नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिंदुओं का विवेचन किया गया।

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3. नया मार्ग लघूत्तम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं मौका जांच, तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की मौका जांच रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र, नजरी नक्शा व पत्रावली में संलग्न जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। यद्यपि रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है पर प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 14,15 से चाहा गया रास्ता लघूत्तम रूट से नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेशः—

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प.न. 199/286 मु. 57 कि.न. 14,15 से चाहा गया रास्ता लघूत्तम रूट से नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

मांगीलाल
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी